रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 7] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 5, 2004/पौष 15, 1925
No. 7] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 5, 2004/PAUSA 15, 1925

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

हैदराबाद, 1 जनवरी, 2004

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमांकक की अर्हताएं) विनियम, 2004

फा. सं. बी.वि.वि.प्रा./रजि./2/2004.—बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 114क की उपधारा (2) के खण्ड (क) के साथ पठित धारा 2 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बीमा सलाहकार समिति के परामर्श से निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम, लागू होना और प्रारम्भ.**—(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमांकक की अर्हताएं) विनियम, 2004 है।

(2) यह विनियम ऐसे सभी बीमाकर्ताओं को लागू होंगे, जो बीमा अधिनियम, 1938 के प्रयोजनों के लिए किसी बीमांकक की सेवाएं प्राप्त करते हैं और ये 10 अगस्त, 2002 से प्रवृत्त हुए माने जाएंगे।

2. **परिभाषाएं.**—(1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) ''अधिनियम'' से बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) अभिप्रेत है;

(ख) ''भारतीय बीमांकिक सोसायटी'' से सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन गठित भारतीय बीमांकिक सोसायटी अभिप्रेत है;

(ग) ''बीमांकक'' से ऐसा कोई व्यष्टि अभिप्रेत है, जिसके पास विनियम 3 में विनिर्दिष्ट अर्हताएं हैं;

(घ) ''प्राधिकरण'' से बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) के अधीन स्थापित बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण है।

(2) ऐसे सभी शब्दों और पदों का, जो इनमें प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं, क्रमश: वही अर्थ होगा, जो उनका बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) या बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) या तद्धीन बनाए गए विनियमों में है।

3. **बीमांकक की अर्हताएं.**—बीमांकक भारतीय बीमांकिक सोसायटी का शिक्षावृत्तिभोगी होगा :

परन्तु जहां किसी व्यष्टि द्वारा प्राधिकरण को आवेदन किया जाता है और प्राधिकरण के समाधानप्रद रूप में यह दर्शित किया जाता है कि किसी विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए पर्याप्त बीमांकिक जानकारी रखने वाले ऐसे व्यष्टि का नियोजन, किसी भारतीय बीमा कम्पनी या किसी व्यक्ति को अधिनियम के अधीन इसकी या उसकी किन्हीं बाध्यताओं को पूरा करने में समर्थ बनाता है तो प्राधिकरण, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, जिन्हें प्राधिकरण अधिरोपित करना उचित समझे, ऐसे व्यष्टि के आवेदन को मंजूर कर सकेगा और उसे बीमांकक के रूप में हस्ताक्षर करने की अनुमति दे सकेगा।

प्रबोध चन्द्र, पदाभिहित अधिकारी

[विज्ञापन-III/IV/161/2003/असा.]

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTIFICATION

Hyderabad, the 1st January, 2004

Insurance Regulatory and Development Authority (Qualification of Actuary) Regulations, 2004

F. No. IRDA/Reg./2/2004.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 2 read with clause (a) of Sub-section (2) of Section 114A of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938) the Insurance Regulatory and Development Authority, in consultation with the Insurance Advisory Committee, hereby makes the following regulations, namely :—

1. **Short title, application and commencement.**—(1) These regulations may be called the Insurance Regulatory and Development Authority (Qualification of Actuary) Regulations, 2004.

(2) These regulations shall apply to all the insurers who engage the services of an actuary for the purposes of the Insurance Act, 1938 and shall be deemed to have come into effect from 10th August, 2002.

2. **Definitions.**—(1) In these regulations, unless the context otherwise requires—

(a) "Act" means the Insurance Act, 1938 (4 of 1938);

(b) "Actuarial Society of India" means Actuarial Society of India constituted under Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860);

(c) "Actuary" means an individual possessing such qualifications as specified in Regulation 3;

(d) "Authority" means Insurance Regulatory and Development Authority established under the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999).

(2) All words and expressions used and not defined herein shall have the meanings respectively assigned to them in the Insurance Act, 1938 (4 of 1938) or in the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999), or in the Regulations made thereunder.

3. **Qualifications of an Actuary.**—An Actuary shall be a Fellow of the Actuarial Society of India :

Provided that where an application is made by any individual to the Authority and it is shown to the satisfaction of the Authority that the employment of such individual having actuarial knowledge for any specified purpose sufficient in order to enable an Indian Insurance Company or a person to carry out any of its or his obligations under the Act, the Authority may grant the application and permit such individual to sign as actuary for the specified purpose, subject to such conditions and restrictions as the Authority thinks fit to impose.

PRABODH CHANDER, Designated Officer

[ADVT-III/IV/161/2003/Exty.]

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.